न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं विहित प्राधिकारी पंचायत बलौदाबाजार जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ0ग0)

रा.प्र.क. 202406210200051 / धारा–40 / वर्ष 2023–24
ग्राम लटुवा जनपद पंचायत बलौदाबाजार

छ.ग. शासन,
द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत बलौदाबाजार

.... आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती महेश्वरी साहू
सरपंच ग्राम पंचायत लटुवा
जनपद पंचायत बलौदाबाजार

.... अनावेदक

/ / पारित आदेश / /

(दिनांक 30/ 07 / 2024)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक शिकायतकर्तागण श्री सुरेश कुमार नायक एवं अन्य 74 ग्रामवासी ग्राम पंचायत लटुवा, जनपद पचांयत बलौदाबाजार द्वारा ग्राम पंचायत लटुवा में किये गये करोडों भष्ट्राचार एवं घोटाला के संबंध में प्राप्त शिकायत पर जांच समिति द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बलौदाबाजार के पत्र कमांक 1705 / ज.प. / शि.शा. / 2023–24 बलौदाबाजार दिनांक 07.06.2024 के माध्यम से जांच दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार सरपंच सचिव ग्राम पंचायत लटुवा द्वारा ग्राम पंचायत एवं ग्रामसभा प्रस्ताव के आधार पर सभी कार्य कराये गये है किंतु पंजी में 16 देयकों का भुगतान किया जाना पाया गया है, जिसका व्यय प्रमाणक अप्राप्त है, बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान किये जाने के फलस्वरूप छ.ग. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत 401430.00 रूपये, अक्षरी चार लाख एक हजार चार सौ तीस रूपये वसूली एवं धारा 40 के तहत कार्यवाही किए जाने हेतु प्रतिवेदित किए जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारंभ किया गया ।

2/– प्रकरण में अनावेदिका श्रीमती महेश्वरी साहू, सरपंच ग्राम पंचायत लटुवा, जनपद पंचायत बलौदाबाजार को पंचायती राज अधिनियम की धारा 40 के तहत कारण बताओ

नोटिस सह आरोप पत्र जारी कर जवाब लिया गया। उन्होंने अपने जवाब में बताया है कि उपरोक्त कंडिका 01 से 10 तक कार्यो का फर्मो से बिल लिया जाकर फर्म की राशि भुगतान की गई है, किंतु बिल देयक कार्यालय में कही इधर–उधर हो जाने के कारण जांच के दौरान प्रस्तुत नही की जा सकी। बिल देयक को कार्यालय में खोजबीन की जा रही है, मिलने पर प्रस्तुत की जावेगी, नहीं मिलने की स्थिति में उक्त फर्मो से बिल की द्वितीय प्रति प्राप्त कर प्रस्तुत की जावेगी।

3/– प्रकरण में अनावेदिका द्वारा अपना मौखिक तर्क पेश किया गया, जिसमें उसने मुख्य रूप से यह बताया कि उनके द्वारा सभी कार्य कराया गया है, परंतु देयक कार्यालय में कही इधर उधर हो गया है, जिसकी द्वितीय प्रति संबंधित फर्म से मांगी गई है।

4/– इस प्रकारं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बलौदाबाजार के जांच दल द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन, अनावेदिका सरपंच के जवाब एवं तर्क के श्रवण एवं जांच दल द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के तथ्यों से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत लटुवा के सरपंच एवं सचिव द्वारा ग्राम पंचायत लटुवा में कोविड नियंत्रण 15 वित्त ग्रा.पं., कोविड नियंत्रण 15 वित्त ग्रा.पं., पचरी व नाली निर्माण 15 वित्त ग्रा.पं., मितानीन सम्मान दिवस कार्यक्रम 15 वित्त ग्रा.पं. , नाली निर्माण 15 वित्त ग्रा.पं., नाली एवं गली साफ सफाई 15 वित्त ग्रा.पं., रोड एवं गली मरम्मत 15 वित्त ग्रा.पं., पेयजल संबंधी कार्य 15 वित्त ग्रा.पं., सामुदायिक भवन निर्माण ठेठवार पारा 15 वित्त ग्रा.पं., संकल्प यात्रा 15 वित्त ग्रा.पं. कार्यो का भुगतान विभिन्न फर्मो को कुल 401430.00 रूपये का भुगतान किया गया है, परंतु भुगतान किये गये फर्मो का बिल देयक संलग्न नहीं है, जिससे किए गए भुगतान संदेहस्पद प्रतीत होता है। उक्त कार्य जांच दिनांक 24.05.2024 से पूर्व का है, जिसका वर्तमान तक अनावेदक सरपंच एवं सचिव द्वारा उक्त भुगतान देयक बिल की मूल प्रति नहीं खोजा गया है और ना ही द्वितीय प्रति बनवाया गया है, जिससे उक्त कार्यो का भुगतान फर्जी प्रतीत होता है, जिसके लिए आहरणकर्ता एजेंसी सरपंच/सचिव दोनों व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है तथा सरपंच/सचिव का अपने कर्तव्यों के निवर्हन में घोर लापारवाही को दर्शित करता है।

5/– उपरोक्त विवेचनाओं से स्पष्ट है कि सरपंच ग्राम पंचायत लटुवा द्वारा विभिन्न कार्यो का फर्मो को किए भुगतान का देयक प्रमाणक दस्तावेज ग्रान पंचायत में सरपंच सचिव के पास उपलब्ध नहीं है, जो कि छ.ग. पंचायत राज अधिनियम 1993 के अधीन छ.ग ग्राम

पंचायत लेखा नियम 1999 लेखा प्रक्रिया तथा अभिलेख नियम 37 के विपरित है। श्रीमती महेश्वरी साहू सरपंच ग्राम पंचायत लटुवा द्वारा पद पर रहते हुए अपने कर्तव्यों के निवर्हन में घोर लापरवाही बरती गई है, जिसके कारण वह अपने कर्तव्य के निवर्हन में अवचार के दोषी है, तथा उनका पद पर बना रहना लोकहित में अवांछनीय है।

अतः छ.ग. पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 40–(1) के प्रावधानों के तहत श्रीमती महेश्वरी साहू सरपंच ग्राम पंचायत लटुवा, जनपद पंचायत बलौदाबाजार जिला बलौदाबाजार –भाटापारा छ.ग. को तत्काल प्रभाव से सरपंच पद से पृथक किया जाता है तथा छ.ग. पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 40 (2) के प्रावधानों के तहत श्रीमती महेश्वरी साहू को 06 वर्ष की कालावधि के लिए पंचायत अधिनियम के अधीन निर्वाचन/सहयोजन के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 30/07/2024 को खुली न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा सहित पारित एवं उद्घोषित।

30/07/24

अमित कुमार गुप्ता
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं विहित प्राधिकारी पंचायत
बलौदाबाजार

Scanned with OKEN Scanner